

## हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 26 दिसम्बर, 2022 को 11.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

### I. शोक प्रस्ताव

एक मंत्री स्वर्गीय:-

1. श्री धनिक लाल मण्डल, हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल;
2. श्री भाग सिंह छातर, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
3. हरियाणा के शहीद;
4. सिक्किम सड़क हादसे में शहीद हुए जवान;
5. अन्य ।

के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

### II. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

### III. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

- (i) अध्यक्ष विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
- (ii) समिति के प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की एक सदस्य पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों स्वीकार करता है।

### IV. ध्यानाकर्षण सूचना

#### ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-4

श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा राज्य में 23 नवंबर, 2022 को जहरीली और नकली शराब के कारण सोनीपत जिले में लगभग चार लोगों की मौत से संबंधित सूचना।

#### ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-29

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री बलराज कुंडू, एम.एल.ए.

द्वारा दी गई सूचना को,

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना

संख्या 4 के साथ क्लबड कर

दिया गया है।

**ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-31**

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए.

द्वारा दी गई सूचना को,

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना

संख्या 4 के साथ क्लबड कर

दिया गया है।

**V. नियम 73 (क) के अंतर्गत सूचना पर चर्चा**

1. श्री वरूण चौधरी, एम.एल.ए. राज्य में विधायक के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान करने से संबंधित सूचना।
2. श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.
3. श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.
4. श्री अमित सिहाग, एम.एल.ए.
5. श्रीमती शैली, एम.एल.ए.

**VI. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र।**

1.	एक मंत्री	हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (2022 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1) मेज पर रखेंगे।
2.	एक मंत्री	हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अध्यादेश, 2022 (2022 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2) मेज पर रखेंगे।
3.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 67/जी.एस.टी-2, दिनांकित 16 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
4.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
5.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
6.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 70/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
7.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।









55.	एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी/57/2022, दिनांकित 25 फरवरी, 2022 मेज पर रखेंगे।
56.	एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी/57/प्रथम संशोधन/2022, दिनांकित 18 मई, 2022 मेज पर रखेंगे।
57.	एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी/46/2019/द्वितीय संशोधन/2022, दिनांकित 31 जनवरी, 2022 मेज पर रखेंगे।
58.	एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी/10/2005/6वां संशोधन/2022, दिनांकित 31 अगस्त, 2022 मेज पर रखेंगे।
59.	एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी/10/2005/7वां संशोधन/2022, दिनांकित 9 नवम्बर, 2022 मेज पर रखेंगे।
60.	एक मंत्री	हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम, 2022 की धारा 19 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, गृह विभाग की अधिसूचना संख्या एस.ओ.84/एच.ए.16/2022/एस.19/2022, दिनांकित 15 दिसम्बर, 2022 मेज पर रखेंगे।
61.	एक मंत्री	हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 30923, दिनांकित 12 अक्टूबर, 2022 मेज पर रखेंगे।
62.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2018-2019 के लिए हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की 45वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
63.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-2022 के लिए हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड (एच.आर.ई.सी) की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
64.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा

		के अनुसार वर्ष 2018-2019 के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
65.	एक मंत्री	नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2017-2018 के लिए हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
66.	एक मंत्री	राज्य वित्त अधिनियम, 1951 की धारा, 37 (7) तथा 38 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2017-2018 के लिए हरियाणा वित्तीय निगम की 51 वीं वार्षिक रिपोर्ट सहित पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
67.	एक मंत्री	राज्य वित्त अधिनियम, 1951 की धारा, 37 (7) तथा 38 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2018-2019 के लिए हरियाणा वित्तीय निगम की 52 वीं वार्षिक रिपोर्ट सहित पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
68.	एक मंत्री	राज्य वित्त अधिनियम, 1951 की धारा, 37 (7) तथा 38 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019-2020 के लिए हरियाणा वित्तीय निगम की 53 वीं वार्षिक रिपोर्ट सहित पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
69.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019-2020 के लिए हरियाणा राज्य सड़के तथा पुल विकास निगम लिमिटेड की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
70.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2018-2019 के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे मेज पर रखेंगे।
71.	एक मंत्री	हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा 17 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-2022 (19.07.2021 से 31.03.2022), के लिए हरियाणा लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
72.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) के उपबंधों के अनुसरण में

		वर्ष 2017-2018 के लिए हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी एस) तथा पंचायती राज संस्थानों (पी आर आई एस) पर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हरियाणा की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।
73.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड-2 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2021-2022 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखों (भाग-I तथा II) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।
74.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड-2 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2021-2022 के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखे मेज़ पर रखेंगे।

#### VII. नेवा पोर्टल के माध्यम से लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर समिति की 85 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

#### VIII. विधायी कार्य

##### (i) (पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजा स्थल विधेयक, 2022. एक मंत्री हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजा स्थल विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
2. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2022. एक मंत्री हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
3. हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 एक मंत्री हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
4. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2022 एक मंत्री हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
5. हरियाणा विधान सभा एक मंत्री हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा

	(सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022		पेंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
6.	फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022	एक मंत्री	फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
7.	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022	एक मंत्री	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
8.	हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक, 2022	एक मंत्री	हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
9.	हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022	एक मंत्री	हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
10.	हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022	एक मंत्री	हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
(ii)	(प्रस्तुतिकरण, विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)		
1.	हरियाणा नगरीय अचल सम्पत्ति कर (सूची विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022.	एक मंत्री	हरियाणा नगरीय अचल सम्पत्ति कर (सूची विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे;  प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरीय अचल सम्पत्ति कर (सूची विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;  यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2.	हरियाणा लघु नगर (कर	एक	हरियाणा लघु नगर (कर विधिमान्यकरण) निरसन

- |   |              |   |
|---|--------------|---|
| विधिमान्यकरण) निरसन<br>विधेयक, 2022.                              | मंत्री       | विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे;<br>प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा लघु नगर (कर<br>विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक पर तुरन्त<br>विचार किया जाए;<br><br>यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया<br>जाए।  |
| 3. हरियाणा नगर पालिका (कर<br>विधिमान्यकरण) निरसन<br>विधेयक, 2022. | एक<br>मंत्री | हरियाणा नगर पालिका (कर विधिमान्यकरण)<br>निरसन विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे;<br>प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर पालिका (कर<br>विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक पर तुरन्त<br>विचार किया जाए;<br><br>यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया<br>जाए। |
| 4. हरियाणा लघु नहर<br>(निरसन) विधेयक, 2022                        | एक<br>मंत्री | हरियाणा लघु नहर (निरसन) विधेयक को<br>पुरःस्थापित करेंगे;<br>प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा लघु नहर (निरसन)<br>विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;<br><br>यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया<br>जाए।  |
| 5. हरियाणा राज्य नलकूप<br>(निरसन) विधेयक, 2022                    | एक<br>मंत्री | हरियाणा राज्य नलकूप (निरसन) विधेयक को<br>पुरःस्थापित करेंगे;<br>प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा राज्य नलकूप<br>(निरसन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;<br><br>यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया<br>जाए।                                  |

चण्डीगढ़:  
25 दिसम्बर, 2022.

राजेन्द्र कुमार नांदल,  
सचिव।